

RV080802493 IN

Special Seal Authority



पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०)-द्वितीय

20 सरोजनी नायडू मार्ग ३०प्र०, प्रयागराज

Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

पत्रांक- पेंशन विविध/DRY No.- 2024-729  
दिनांक :- ०४/०४/२०२४

सेवा में,

Sr. AO/Pension,  
PAG(A&E) Andhra Pradesh,  
Stalin Central Mall, 7th floor, M.G. Road,  
Governor Pet, Vijayawada, Andhra Pradesh – 520002

विषय :- राज्य सरकार के सिविल / परिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

शासनादेश :- ०८/२०२४/सा-३-९१/दस-२०२४/३०१/२००० टी०सी० लखनऊ, दिनांक

15/03/2024


SCANNED

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-३ विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरि।



वरी० लेखाधिकारी / पेंशन विविध

उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3  
संख्या-8/2024/मा-3-91 /दस-2024/301/2000टी.सी.  
लघुनांक : दिनांक 15 मार्च, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत के मम्बन्ध में निर्गत शासनादेश-संख्या-25/ 2023/ आई/ 424662/ 2023/ फा0नं-0-10-22099/ 1401/ 2020 दिनांक 08 नवम्बर, 2023

द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2023 से महँगाई राहत की दर 42 प्रतिशत से बढ़ा कर 46 प्रतिशत की गयी थी।

2- अधोहस्ताधरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुमार संशोधित/ स्वीकृत/ पेंशन/ पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2024 से महँगाई राहत की 04 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 46 प्रतिशत से बढ़कर दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 50 प्रतिशत हो जायेगी।

4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होने, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

6- यह आदेश शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्ता शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

7- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/ दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुमार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadep.upt.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8- महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिवन्ध जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

(नील रत्न कुमार)  
विशेष सचिव, वित्त।

सेवा में,

- (1)उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारीगण।
- (2)महलेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1व 2 एवं ऑडिट-1व 2, उत्तर प्रदेश, प्रसागराज।
- (3)महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (4) समस्त राज्यों के महालेखाकार।

(नील रत्न कुमार)  
विशेष सचिव, वित्त।

---

1. यह शासनादेश इन्सेक्टूनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हरताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वैय साइट <http://shasanadep.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Government of Uttar Pradesh  
Finance (General) Section-3  
No.G-3-91/10-2024/301/2000T.C.  
Dated: Lucknow: 15 March, 2024  
Office - Memorandum

Subject: Grant of dearness relief to State Government's civil/family pensioners.

Vide government order No.-25/2023/I/424662/2023/File No-10-22099/1401/2020  
Dated 08 November, 2023 the dearness relief admissible to pensioners/ family pensioners  
of the state was increased from 42 percent to 46 percent w.e.f. July 01, 2023.

- 2- The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to grant one more  
installment of dearness relief of 04 percent w.e.f. January 01, 2024 on the pension/family  
pension revised/ determined under the provisions of the government orders issued under  
the recommendations of Uttar Pradesh pay Committee 2016.
- 3- As a consequence of the above-mentioned 04 percent rise, the dearness relief  
payable on the pension/family pension will rise from existing 46 percent to 50 percent  
with effect from January 01, 2024.
- 4- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be  
ignored while half or more shall be counted as one rupee.
- 5- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local  
bodies and public undertakings /corporations etc in respect of whom separate orders will  
be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service  
pensioners/family pensioners are being issued.
- 6- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from  
State Fund, under the Education/ Technical Education Departments, whose  
pension/family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.
- 7- As per orders issued in O.M. No. A-1-252 /X-10(3)-81 dated April 27, 1982 the  
Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as  
such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing  
authorities on the basis of this office memorandum alone.
- 8- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier  
Government orders shall remain applicable as before.

(Neel Ratan Kumar)  
Special Secretary, Finance.

---

- 1- यह शासनादेश इनेम्डियन्स जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता ये साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

To,

(1)-All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries to the Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers.

(2)-Accountant General (Account & Entitlement)1,2 & Audit-1,2, Uttar Pradesh, Prayagraj.

(3)-Office of Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.

(4)-Accountants General of all states.

Neel Ratan Kumar  
Special Secretary, Finance.

---

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता ये साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।